IAS PCS

GS WORLD

Committed To Excellence

आलेख सार

अंक - 4

संपादकीय Analysis 360°

एक कदम, सफलता की ओर।।।

प्रिय अभ्यर्थियों!

जैसा कि आप जानते हैं, कि जी०एस० वर्ल्ड प्रबंधन पिछले कुछ वर्षों से लगातार आपके अध्ययन सामग्री की गुणवत्ता संवर्धन हेतु सतत प्रयासरत है, जिसके लिए दैनिक स्तर पर अंग्रेजी समाचार पत्रों का सार एवं जीएस वर्ल्ड टीम द्वारा सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है। साथ ही साप्ताहिक स्तर पर हिन्दी समाचार पत्रों का सार उपलब्ध कराया जाता था, किंतु सिविल सेवा परीक्षा के बढ़ते स्तर एवं बदलते प्रश्नों को देखते हुए जीएस वर्ल्ड प्रबंधन ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के सार के स्थान पर अर्द्धमासिक स्तर पर संपादकीय Analysis 360° आरंभ किया है।

संपादकीय Analysis 360° में नया क्या है?

- इसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर विभिन्न हिन्दी समाचार पत्रों में आए संपादकीय लेखों का सार उपलब्ध कराया जा रहा है।
- इन संपादकीय लेखों को समग्रता प्रदान करने के लिए इनसे जुड़ी सभी बेसिक अवधारणाओं को जीएस वर्ल्ड टीम द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।
- इन मुद्दों से संबंधित 2013 से अब तक सिविल सेवा परीक्षा में पूछे गए प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को भी नीचे दिया गया है, जिससे अभ्यर्थी उस मुद्दे से जुड़े प्रश्नों को समझ सके।
- इन मुद्दों से संबंधित संभावित प्रश्नों को भी इन आलेखों के साथ दिया गया है, जिसका अभ्यास अभ्यर्थी स्वयं कर संस्थान में अपने उत्तर की जांच भी करा सकते हैं।

जीएस वर्ल्ड प्रबंधन आपके उज्ज्वल एवं सफल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है।।।

GS World
Committed To Excellence

नीरज सिंह
(प्रबंध निदेशक, जीएस वर्ल्ड)

भारत-ईरान संबंध

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

भारत और ईरान केवल 21वीं सदी के आधुनिक देश ही नहीं, बल्कि दो प्राचीन सभ्यताएं भी है, जिनके बीच सदियों से दोस्ताना संबंध रहे हैं। हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति हसन रुहानी की तीन दिवसीय भारत यात्रा इन संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित मुद्दों को लेकर हिन्दी समाचार पत्र नवभारत टाइम्स, राष्ट्रीय सहारा और जनसत्ता में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे जी.एस. वर्ल्ड टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

नए दौर का भरोसा (नवभारत टाइम्स)

ईरान के साथ नजदीकी का खुला इजहार करके भारत ने दुनिया को जता दिया कि उसकी विदेश नीति को अमेरिका के साथ नत्थी करके ना देखा जाए। हम किसी दबाव में नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं को ध्यान में रखकर फैसले करते हैं। ईरान की पहचान अमेरिका-इजरायल के घोर विरोधी देश की है, लेकिन इन दोनों से भारत की गहरी दोस्ती के बावजूद ईरान भी हमारे लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरी तरफ ईरान का सुन्नी अरब मुल्कों से छत्तीस का आंकड़ा रहा है। लेकिन अरब मुल्कों से हमारी निकटता ईरान के साथ दोस्ती में आड़े नहीं आती। ईरान भी इस बात को बखूबी समझता है। सच्चाई यह है कि आज दोनों देशों को एक-दूसरे की जरूरत है। सस्ते तेल और गैस के लिए भारत का पश्चिम एशिया में पांव जमाना जरूरी है।

अमेरिका अब इस मामले में इधर के मुल्कों पर बहुत निर्भर नहीं रह गया है, लिहाजा तेल-गैस का सबसे स्थायी बाजार अब उन्हें भारत में ही दिख रहा है। ईरान और भारत एनर्जी सेक्टर में मिलकर बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। भारत यात्रा पर आए ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेल, गैस और बैंकिंग क्षेत्र में संबंधों को व्यापक बनाने को लेकर सार्थक बातचीत हुई। दोनों पक्षों ने नौ समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें भारत को डेढ़ साल के लिए चाबहार बंदरगाह का एक हिस्सा लीज पर दिए जाने का समझौता भी शामिल है। दोनों नेताओं ने शांतिपूर्ण, स्थिर, संपन्न तथा बहुलतावादी अफगानिस्तान की जरूरत पर जोर दिया। चाबहार बंदरगाह को लेकर हुआ समझौता काफी अहम है। इसके जरिए तैयार हो रहा माल-ढुलाई का गलियारा इस क्षेत्र की भौगोलिक-आर्थिक-सामरिक स्थिति को बदल कर रख देगा। इससे भारत को मध्य एशियाई देशों तक पहुंच बनाने में काफी मदद मिलेगी।

पाकिस्तान द्वारा भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक जमीनी पहुंच ना बनाने देने के कारण नई दिल्ली के लिए ईरान का रास्ता ही बचता था, हालांकि इस दिशा में आगे बढ़ने में काफी वक्त लग गया। ध्यान रहे, इस पर सहमति 2003 में ही बन चुकी थी। ईरान के साथ हुए अन्य समझौतों में दोहरे कराधान से बचाव तथा वित्तीय चोरी रोकने का समझौता भी शामिल है। दोनों पक्षों ने राजनयिक पासपोर्ट धारकों को वीजा अनिवार्यता से छूट देने तथा व्यापार बेहतरी के लिए विशेषज्ञ समूह बनाने का भी समझौता किया है। भारत ने प्रतिबद्धता जताई है कि वह चाबहार बंदरगाह से जाहिदान तक रेलवे लाइन के निर्माण में भी तेजी लाएगा। ईरान का यह शहर

भारत की मौजूदगी के मायने (राष्ट्रीय सहारा)

भारत और ईरान केवल 21वीं सदी के दो आधुनिक देश ही नहीं, बल्कि दो प्राचीन सभ्यताएं भी हैं, जिनके बीच सदियों से दोस्ताना संबंध रहे हैं। दोनों देशों के लोगों और उनके प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक-आर्थिक-राजनीतिक संबंधों के मार्ग में आने वाली चुनौतियों का सामना करते समय अक्सर एक दूसरे की परिस्थितियों और निर्णयों को संपूर्णता में देखा और अपने दूरगामी हितों पर तात्कालिक फायदे को कभी वरीयता नहीं दी। बदलती हुई भू-राजनीतिक और भू-रणनीतिक परिस्थितियों में ईरानी राष्ट्रपति हसन रौहानी का हालिया भारत दौरा इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इस दौरान भारत और ईरान ने कुल नौ समझौतों पर हस्ताक्षर किए जिनमें सबसे प्रमुख चाबहार स्थित शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के फेज-1 का पट्टा एक भारतीय कंपनी को दिया जाना है। लगभग 85 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से बनकर तैयार होने वाला यह बंदरगाह पाकिस्तान के ब्लूचिस्तान प्रांत में स्थित और चीन के सहयोग से बने ग्वादर बंदरगाह से मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पर है। गौरतलब है कि चीन के "एक बेल्ट-एक सड़क" और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे, जो पाकिस्तान द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा किए गए जम्मू-कश्मीर क्षेत्र से होकर गुजरता है, की घोषणा के समय से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि हो न हो भारत अब चीन के साथ होने वाले आर्थिक और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ता चला जाएगा। बहुत से विश्लेषकों ने तो यहां तक चेताया कि आर्थिक प्रतीत हो रहीं ये परियोजनाएं वास्तव में चीन की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा हैं, जो उसे आर्थिक लाभ के साथ-साथ हिन्द महासागर में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका भी उपलब्ध कराती हैं। कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि चीन इन परियोजनाओं के तहत भविष्य में सैन्य ठिकाने बनाकर हिन्द महासागर में भारत के एकाधिकार को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। जहां तक चीन की आधिकारिक नीतियों और घोषणाओं का प्रश्न है, वह हमेशा इसे आर्थिक नजरिये से देखने की बात करता है। उसका दावा है कि वह वास्तव में पुराने रेशम मार्ग को फिर से बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। यहां यह बात भी महत्वपूर्ण है कि पुराना रेशम मार्ग, जिसे चीन फिर से पुनर्जीवित करने की बात कर रहा है, बिना भारत को शामिल किए पूरा ही नहीं हो सकता है क्योंकि चीन के साथ-साथ भारत भी पुराने रेशम मार्ग का अविभाज्य हिस्सा या अटूट कड़ी था। वर्तमान समय में बदली हुई परिस्थिति और पाकिस्तान द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा की गई भूमि, जिससे होकर चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जा रहा है, पर संप्रभुता के प्रश्न

GS World
Committed To Excellence

अफगानिस्तान से लगने वाली उसकी सीमा पर स्थित है। उम्मीद करें कि दोनों प्राचीन पड़ोसियों का रिश्ता समय बीतने के साथ और भी मजबूत होता जाएगा।

सहयोग का सफर (जनसत्ता)

ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी की तीन दिवसीय भारत यात्रा दोनों देशों के बीच कारोबारी लिहाज से भी अहम थी और कूटनीतिक नजरिए से भी। उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल में ईरान के कई दिग्गज कारोबारी भी थे। दरअसल, ईरान इस वक्त कई कारणों से भारत से व्यापारिक लेन-देन बढ़ाना चाहता है। सकल घरेलू उत्पाद की दर और सकल पूंजी निर्माण की दर में आई कमी के चलते ईरान सरकार अपने यहां जन-असंतोष का सामना कर रही है। हाल में ईरान के कई शहरों में हुए विरोध-प्रदर्शनों ने उसे चिंता में डाल रखा है। ऐसे वक्त में रूहानी को उम्मीद होगी कि अपने तेल और गैस संसाधनों का उपयोग वे अतिरिक्त पूंजी जुटाने, अपने यहां विदेशी निवेश बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने में कर सकते हैं। दूसरी ओर, भारत को भी कई वजहों से ईरान के सहयोग की जरूरत है। चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत पाकिस्तान को नजरअंदाज कर अफगानिस्तान तक पहुंच का रास्ता तो पा ही लेगा, मध्य एशिया के देशों तक भी व्यापारिक आवाजाही कर सकेगा। फिर, ईरान के पास तेल और गैस का प्रचुर भंडार है, और रूहानी ने अपने गैस फील्ड में भारत को निवेश करने की पेशकश भी की है। जहां तक रूहानी की यात्रा के कूटनीतिक महत्त्व का सवाल है, यह दोनों देशों के लिए बराबर है।

अमेरिका की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों के चलते ईरान एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुश्किलों से गुजर रहा है। उसे विदेश व्यापार में भी कठिनाई हो रही है। ऐसे वक्त में भारत से रिश्ते बेहतर होते हैं और लेन-देन बढ़ता है तो ईरान के लिए यह राहत की बात होगी। भारत से व्यापार में ईरान की बढ़ी हुई दिलचस्पी इससे भी जाहिर होती है कि उसने भारत को अपने यहां ढांचागत और यातायात परियोजनाओं में रुपए में निवेश करने की छूट दे रखी है। ईरान यह भी चाहता है कि अफगानिस्तान सीमा पर भारत रेल लाइन बिछाए। दूसरी तरफ, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भारत यात्रा के कोई महीने भर बाद ईरान के राष्ट्रपति के आगमन से मोदी सरकार ने पश्चिम एशिया में संतुलन साधने की कोशिश की है। यह माना जा रहा था कि ईरान के प्रति ट्रंप के रुख को देखते हुए ईरान से कारोबार बढ़ाने में भारत को परेशानी या हिचक हो सकती है। लेकिन यह आशंका निराधार साबित हुई। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वह भारत और ईरान के व्यापारिक मामलों में आड़े नहीं आएगा।

एक समय ईरान से पाकिस्तान होकर भारत आने वाली पाइपलाइन परियोजना की बड़ी चर्चा थी, पर यह महत्त्वाकांक्षी परियोजना कभी सिरे नहीं चढ़ पाई। जबकि चाबहार परियोजना की एक बड़ी खासियत यही है कि भारत से अफगानिस्तान जाने वाले माल को पाकिस्तान होकर नहीं जाना पड़ेगा। बहरहाल, बीते शनिवार को रूहानी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच चाबहार परियोजना के आगे के क्रियान्वयन से लेकर ईरान के तेल और गैस क्षेत्र में भारत के पूंजीनिवेश की संभावना सहित कई मोर्चों पर आपसी सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने साझा बयान भी दिए। इस मौके पर दोनों देशों के बीच नौ करार हुए, जो चाबहार और शाहिद बहेस्ती बंदरगाह के अलावा दोहरे कराधान से बचाव, राजनयिक पासपोर्ट धारकों को वीजा से छूट देने, प्रत्यर्पण संधि की पुष्टि तथा दवा और कृषि आदि में आपसी सहयोग से संबंधित हैं।

पर भारत ने इससे अलग रहने का निर्णय लिया है। इस परियोजना पर लगातार अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई है। जहां तक भारत का प्रश्न है, नियंतण्र और एशियाई परिदृश्य में अपने बढ़ते हुए कद तथा आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए उसे ऐसा रास्ता तलाश करना था, जिससे उसके तात्कालिक और दूरगामी राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं का समुचित निराकरण किया जा सके।

इस क्रम में भारत को मई, 2016 में उस समय अभूतपूर्व सफलता मिली जब उसने ईरान के चाबहार में स्थित बंदरगाह को विकसित करने के लिए एक समझौता किया। साथ ही साथ भारत, ईरान और अफगानिस्तान में एक परिवहन एवं व्यापारिक गलियारे के निर्माण के लिए भी सहमति बनी जिसके माध्यम से भविष्य में अफगानिस्तान होते हुए मध्य एशिया और यूरोप के देशों से व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाई जा सकें। जल्द ही भारत के इस कदम को चीन की एक बेल्ट-एक सड़क और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की परियोजना के जवाब के तौर पर देखा जाने लगा। वैसे तो चाबहार में बंदरगाह बनाने और उसके माध्यम से दूसरे देशों तक पहुंचने का रोडमैप काफी पहले से चर्चा में था, लेकिन हाल के समय में भारत के लिए उसे मूर्त रूप प्रदान करना अत्यंत जरूरी था क्योंकि पाकिस्तान किसी भी हालत में उसे अपने जमीन से होकर अन्य देशों में जाने की इजाजत न देने पर अड़ा हुआ था, और भविष्य में भी ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही थी। भारत द्वारा इसका एक विकल्प तैयार करने के लिए लगातार की जा रही कोशिशें शीघ्र ही रंग लाने लगीं और अक्टूबर, 2016 में भारत के कांदला बंदरगाह, जिसे अब दीनदयाल बंदरगाह कहा जाता है, से पहली बार बड़ी मात्रा में अफगानिस्तान को गेहूं भेजा गया। इस प्रयोग की सफलता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत और अफगानिस्तान, दोनों के विदेश मंत्रियों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी निगरानी की थी। चाबहार स्थित इस बंदरगाह की रणनीतिक अवस्थिति भारत के लिए कई कारणों से महत्त्वपूर्ण है। सर्वप्रथम यह उसे स्थलरुद्ध (लैंडलॉक्ड) अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों तक पहुंचने का सीधा, सुरक्षित, आसान व आर्थिक रूप से किफायती रास्ता उपलब्ध कराता है। इस बंदरगाह के माध्यम से भारत, ईरान सहित मध्य एशियाई देशों के प्राकृतिक गैस के भंडारों का आपसी सहमति और समझौते के अनुरूप उपयोग करते हुए घरेलू ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित कर सकता है। तीसरे, भारत अब पाकिस्तान को बाईपास करते हुए एशिया और यूरोप के बड़े बाजारों तक पहुंच बना सकता है, और सामानों के लाने-ले जाने में आने वाली लागत को काफी कम कर सकता है। इस क्षेत्र में हुए अध्ययन इस बात की ओर इशारा करते हैं कि चाबहार के माध्यम से सामानों की आवाजाही पर लगने वाले समय और खर्च में कम-से-कम तीन गुना कटौती होगी। चौथे, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध अन्य देशों के साथ प्रभावी सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है, तथा क्षेत्र में उपस्थित और सक्रिय नियंतण्र आतंकवादी गुटों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जा सकती है। पांचवीं, चीन द्वारा हिन्द महासागर में उसकी स्थिति मजबूत करने के सपने को तगड़ा झटका दिया जा सकता है। इस विश्लेषण के आलोक में कहा जा सकता है कि भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के संदर्भ में जो रास्ता चुना है, वह यकीनन अब तक अपेक्षा के अनुरूप परिणाम दे रहा है।

GS World
Committed To Excellence

चाबहार बंदरगाह का भारत के लिए महत्व

- दक्षिण पूर्व ईरान में स्थित चाबहार से भारत के लिए अफगानिस्तान का एक रास्ता मिलेगा जिसमें पाकिस्तान से हो कर जाने की जरूरत नहीं होगी। भारत के अफगानिस्तान के साथ निकट सुरक्षा एवं आर्थिक संबंध है।
- चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान का जारांज शहर 833 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग से जुड सकता है।
- सीमावर्ती जारांज से डेलराम के बीय हाईवे का निर्माण भारत ने किया है।
- वहां से अफगानिस्तान के चार बड़े शहर हेरात, कंधार, काबुल और मजार-ए-शरीफ हाईवे से जुड़े हैं। भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच ट्रांसपोर्ट ऐंड ट्रैंसिट कॉरिडोस अग्रीमेंट होना है। परियोजना के पहले चरण में भारतीय निवेश 20 करोड़ डॉलर से अधिक होगा जिसमें एक्जिम बैंक की 15 करोड़ डॉलर की लोन सुविधा शामिल है। इसके लिए एक समझौता इसी यात्र के दौरान होगा।
- चाबहार परियोजना-एक के लिए वाणिज्यिक समझौते पर हस्ताक्षर के साथ-साथ भारत, अफगानिस्तान एवं ईरान के बीच परिवहन और पारगमन गलियारे पर त्रिपक्षीय समझौते भी किया जाएगा।
- जिससे अफगानिस्तान के आर्थिक विकास में बड़ा योगदान मिलेगा। इसके अलावा इससे भारत समेत अफगानिस्तान एवं मध्य एशिया के बीच बेहतर क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
- समझौता तीनों देशों के साथ-साथ पूरे इलाके में लोगों और सामानों की ज्यादा आवाजाही के लिए सामरिक बांध के रूप में काम करेगा।'
- चाबहार पोर्ट को अफगानिस्तान के अलावा मध्य एशिया, रूस और यूरोप तक के लिए भारत के गेटवे के रूप में विकसित किया जा रहा है।

भारत-ईरान-अफगानिस्तान सहयोग

चाबहार पोर्ट की सामरिक रणनीति के लिहाज से ईरान और पूरे इलाके के लिए बेहद अहम है। आर्थिक और भूराजनैतिक कारण इसे खास बनाते हैं। पाकिस्तान के साथ विवाद के चलते भारत को अफगानिस्तान और ईरान तक सीधे पहुंचने में मुश्किल होती रही है।

नई दिल्ली खाड़ी के देशों, मध्य पूर्व और मध्य एशिया तक तक भी आसानी से पहुंचना चाहती है, लेकिन बीच में पाकिस्तान आ जाता है। इन देशों के साथ भारत के आर्थिक और राजनीतिक रिश्ते पुराने हैं। भारत इनमें गर्मजोशी लाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान जमीन के रास्ते भारत को वहां तक पहुंचने से रोकता है।

चाबहार पोर्ट भारत का यह सिरदर्द दूर करेगा. हिंद महासागर में बना पोर्ट चाबहार भारत से करीब 900 किलोमीटर दूर है। समुद्र के वहां तक सीधी पहुंच भारत के लिए बहुत अहम है। चाबहार के जरिये भारत, ईरान और मध्य एशिया के बाजार तक आसानी से पहुंचेगा।

लंदन सेंटर फॉर बलूचिस्तान स्ट्डीज के अब्दोल सत्तार दुशौकी के मुताबिक, 'बेहतर कारोबार के जरिये भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया में अपना राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ना चाहता है।' यही वजह है कि नये पोर्ट की क्षमता बढ़ाने के लिए भारत ने अकेले 50 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त निवेश किया है।

अन्य प्रमुख तथ्य

ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ तेल और गैस साझा करने को तैयार है। उनके मुताबिक ईरान भारत के लिए वीजा नियमों में भी ढील देने को राजी है ताकि दोनों देशों के सांस्कृतिक-राजनयिक संबंध और मजबूत हों।

ऐतिहासिक मक्का मस्जिद में करीब 5,000 लोगों को संबोधित करते हुए रूहानी ने कहा, ईरान का चाबहार बंदरगाह भारत के लिए खुल जाने से अफगानिस्तान तक भारतीय पक्ष की पहुंच आसान हो गई है। ईरान तेल और प्राकृतिक गैस से समृद्ध है। और इसे हम भारत के विकास और समृद्धि के लिए उसके साथ बांटने को तैयार हैं।

संभावित प्रश्न

प्रश्न. भारत और ईरान केवल 21वीं सदी के दो आधुनिक देश ही नहीं, बल्कि दो प्राचीन सभ्यताएं भी हैं, जिनके बीच सदियों से दोस्ताना संबंध रहे हैं। इस कथन के संदर्भ में भारत-ईरान संबंधों का विश्लेषण कीजिए।

कावेरी नदी जल विवाद

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2 (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

हाल ही में कावेरी नदी जल विवाद फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। यह विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच 125 से भी अधिक वर्षों से चला आ रहा है। पिछले हफ्ते आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही अब यह झगड़ा खत्म होने के करीब दिख रहा है। इन मुद्दों से जुड़े हिन्दी समाचार पत्रों- हिन्दुस्तान, जनसत्ता,, पत्रिका, नवभारत टाइम्स में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे जी.एस. वर्ल्ड टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

एक सदी पुराने विवाद का निपटारा (हिन्दुस्तान)

कावेरी जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु में 125 से भी अधिक वर्षों से विवाद चला आ रहा है। पिछले हफ्ते आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ अब यह झगड़ा खत्म होने के करीब दिख रहा है। लेकिन क्या यह हल स्थाई होगा? क्या यह फैसला देश के अन्य नदी जल विवादों में भी नजीर बनेगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आंशिक रूप से ही इन सवालों के जवाब देता हुआ दिखता है। फैसले की असली परीक्षा तो अब इस बात में होगी कि जमीनी स्तर पर इसे कैसे लागू किया जाता है? कोर्ट ने इस मामले से केंद्र को भी जोड़ दिया है। उसने केंद्र सरकार से कहा है कि वह 'कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड' का गठन करे, जो बतौर नियामक काम करे और अदालत के फैसले को लागू भी कराए। इस काम के लिए अदालत ने केंद्र सरकार को छह हफ्तों का समय दिया है। अक्तूबर, 2016 में केंद्र सरकार ने यह कहते हुए बोर्ड गठित करने से इनकार कर दिया था कि यह उसके अधिकार-क्षेत्र में नहीं है, यह महज कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की सिफारिश थी। कर्नाटक ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोर्ड के गठन का इस तर्क के साथ विरोध किया है कि यह जल की निगरानी पर उसके अधिकार को कम करना होगा।

कावेरी जल विवाद के मूल में इस्तेमाल योग्य जल संसाधन की पुनर्साझेदारी का मसला है। सन् 1892 व 1924 में मैसूर प्रांत (अब कर्नाटक) और मद्रास सूबे (अब तमिलनाडु) के बीच हुए दो समझौते कावेरी जल बंटवारे की बुनियाद थे और विवाद की जड़ भी। जिन सिद्धांतों के आधार पर जल बंटवारे का समाधान निकाला गया था, उन पर कर्नाटक और तमिलनाडु का रुख लगातार भिन्न रहा। कर्नाटक अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के नाम से चर्चित हर्मन डॉक्टरिन पर जोर देता रहा है, जिसके मुताबिक राज्य को नदी जल पर निर्विवाद रूप से क्षेत्रीय संप्रभुता हासिल है, क्योंकि उसका उद्गम स्थल उसके सीमा क्षेत्र में है। दूसरी तरफ, तमिलनाडु 'जल के प्राकृतिक बहाव के सिद्धांत' की दुहाई देता रहा है। इसका मतलब है कि हर नदी तट पर बसे लोगों का यह अधिकार है कि वे अबाध रूप से उसके जल का इस्तेमाल करें। सुप्रीम कोर्ट ने अब यह साफ कर दिया है कि जल 'राष्ट्रीय संसाधन' है और इस पर राज्य विशेष का हक नहीं। इसका मतलब है कि कोर्ट ने दोनों सिद्धांतों को खारिज कर दिया है और 'न्यायसंगत बंटवारे या इस्तेमाल' के सिद्धांत पर बल दिया है। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है और देश के अन्य नदी जल विवादों पर भी लागू किया जा सकेगा।

संपादकीयः दुरुस्त आयद (जनसत्ता)

तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी के पानी के बंटवारे को लेकर दशकों से वैसा ही तीखा विवाद रहा है जैसा पंजाब और हरियाणा के बीच सतलुज के पानी को लेकर। कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी के पानी को लेकर आंदोलन भी खूब हुए हैं और चुनावी राजनीति भी। कावेरी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले में है और यह कर्नाटक से होकर तमिलनाडु, केरल और पुदुच्चेरी में भी बहती है। सात सौ पैंसठ किलोमीटर लंबी कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु की जीवनरेखा कही जाती है। दोनों राज्यों के बीच जल आबंटन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पंचाट या अदालती फैसले को लागू कराना हमेशा मुश्किल बना रहा है। इसका अंदाजा ताजा फैसले के बाद बरती गई एहतियात से भी लगाया जा सकता है। फैसला आते ही दोनों राज्यों की सरकारों ने एक दूसरे की सीमा में जाने वाली बसें फिलहाल न चलाने की घोषणा कर दी। कावेरी पर सर्वोच्च अदालत का फैसला तमिलनाडु को थोड़ा मायूस करने वाला है, पर इसका स्वागत किया जाना चाहिए। कोई भी ऐसा निर्णय, जो दोनों राज्यों को पूरी तरह संतुष्ट कर सके, लगभग असंभव है।

अदालत ने तमिलनाडु के हिस्से का पानी थोड़ा-सा घटाया है, पर साथ ही केंद्र को कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड गठित करने को कहा है। बोर्ड का गठन होने से यह बराबर सुनिश्चित होता रहेगा कि तमिलनाडु को उसके हिस्से का पानी मिले, जो कि कर्नाटक के अड़ियल रवैये या आनाकानी के कारण प्रायः नहीं हो पाता है। इस तरह के नाजुक मसलों पर, जिन पर जन-भावनाएं फौरन भड़काई जा सकती हैं, अन्यायपूर्ण या अतिरंजित मांगों को आसानी से जन-समर्थन मिल जाता है। इसलिए राजनीतिक दलों के बीच बढ़-चढ़ कर मांग करने और उसे तूल देने की होड़ मची रहती और इसकी परिणति गतिरोध बने रहने में होती है जिससे किसी का भी भला नहीं होता। सर्वोच्च अदालत ने तमिलनाडु के हिस्से में सिर्फ 14.75 टीएमसी फीट की कमी की है, और इतनी ही बढ़ोतरी कर्नाटक के हिस्से में की है, बेंगलुरु और मैसुरु में पेयजल की कमी के मद्देनजर। ताजा फैसले के मुताबिक तमिलनाडु को 404.25 टीएमसी पानी मिलेगा। केरल और पुदुच्चेरी का हिस्सा पहले जैसा ही, यानी क्रमशः तीस टीएमसी फीट और सात टीएमसी फीट रहेगा।

इस फैसले पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने संतोष जताया है, शायद उन्हें यह भी लगता हो कि राज्य में चुनावी माहौल के बीच

GS World
Committed To Excellence

कावेरी दक्षिण भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है, जो कर्नाटक से बंगाल की खाड़ी तक 802 किलोमीटर का सफर तय करती है। इस बीच यह तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी बहती है। इस नदी को दक्षिण-पश्चिम मानसून और उत्तर-पूर्व मानसून, दोनों का लाभ मिलता है। जब मानसून अच्छा रहता है, तो राज्यों का काम आराम से चल जाता है, लेकिन जब मानसून कमजोर पड़ता है, तब किसानों को अपनी फसलों की सिंचाई के लिए इसके पानी की दरकार होती है, उस समय विवाद उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। पिछले कुछ वर्षों से यह मुद्दा संकीर्ण राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गया है। दोनों राज्यों के नेता सख्त रुख अपना लेते हैं और इसे क्षेत्रीय अस्मिता से जोड़कर हालात को गंभीर बना देते हैं। हालांकि जल और सिंचाई राज्य के विषय हैं, मगर विशेषज्ञों का कहना है कि संविधान में ऐसे प्रावधान हैं कि केंद्र जनहित में इसे 'अपने नियंत्रण' में ले सकता है। लेकिन चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की, दोनों ने इस विवाद का अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया है।

अनेक आंदोलनों, प्रदर्शनों, हिंसा और मौत के बाद 1990 में जाकर जल विवाद कानून 1956 के तहत एक ट्रिब्यूनल गठित किया गया। इस ट्रिब्यूनल के पास सिविल कोर्ट के अधिकार हैं और इसने 2007 में अपना फैसला दिया था। लेकिन इसके बाद दोनों ही राज्य एक-दूसरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तमिलनाडु की शिकायत थी कि उसके आवंटन को घटाया जा रहा है और उसे तय मात्रा से भी कम पानी दिया गया, वहीं कर्नाटक की दलील थी कि उसे अपने राज्य के सिंचित क्षेत्र के विस्तार का अधिकार है, और उसके पास अपनी ही जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को पानी जारी करने का आदेश दिया था और तब शुरुआती आनाकानी के बाद आंशिक रूप से उसने पानी छोड़ा था।

पिछले हफ्ते सुनाए अपने अंतिम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के कोटे में 14.5 टीएमसी फीट की कटौती के अलावा कमोबेश ट्रिब्यूनल के पूरे निर्णय को मान लिया है। इन 14.5 टीएमसी फीट में से 4.5 टीएमसी फीट पानी बेंगलुरु शहर की पेयजल जरूरतों के लिए आवंटित किया गया है। तमिलनाडु के नेताओं ने फैसले पर अपनी नाखुशी जाहिर की है, वहीं वहां के किसानों ने यह कहते हुए इसका स्वागत किया है कि हालांकि उनका कोटा कुछ कम कर दिया गया है, फिर भी वे इसलिए खुश हैं कि उन्हें आवंटित जल का 50 से 60 फीसदी ही अब तक मिलता रहा है। उन्हें इस बात से भी सुकून पहुंचा है कि कर्नाटक के लिए अब मनमाने तरीके से कावेरी पर बांध बनाना आसान नहीं होगा और तमिलनाडु को विश्वास में लिए बगैर कृषि क्षेत्र को विस्तार देने में भी उसे दिक्कत होगी।

तमिलनाडु की सारी आशाएं अब कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड के गठन पर टिकी हैं, हालांकि कर्नाटक इसका विरोध कर रहा है। कर्नाटक में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में, विरोध के स्वर आने वाले दिनों में गहराएंगे ही। तमिलनाडु अपनी शिकायतों के साथ शीर्ष अदालत में पुनर्विचार याचिका शायद ही दायर करे, क्योंकि अदालत कह चुकी है कि उसका फैसला आखिरी है। अब सारी निगाहें केंद्र सरकार पर टिक गई हैं कि कर्नाटक की चुनावी अहमियत को देखते हुए वह कैसे इस मामले से निपटता है? कर्नाटक दक्षिण का आखिरी बड़ा सूबा है, जहां कांग्रेस हुकूमत में है। ऐसे में, गुजरात और राजस्थान में मिले चुनावी झटकों के बाद अपनी प्रमुखता फिर से स्थापित करने के लिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक में कांग्रेस को परास्त करें। आए इस फैसले से उन्हें सियासी फायदा मिल सकता है। पर विडंबना यह है कि राज्य सरकार ने सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल बंटवारा 1892 और 1924 में मैसूर राज्य और मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच हुए समझौतों पर आधारित है, और चूंकि तब संविधान का वजूद नहीं था इसलिए अदालत को इस मामले में पड़ने का कोई अधिकार नहीं है! ताजा फैसले से केंद्र के रुख को भी झटका लगा है। केंद्र ने कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड के गठन केतकाजे पर टालमटोल करते हुए कहा था कि अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत जल बंटवारे की योजना बनाना संसद का काम है। जैसा कि फैसले से खुद जाहिर है, सर्वोच्च अदालत ने केंद्र की यह दलील स्वीकार नहीं की। अदालत ने कहा है कि ताजा फैसला पंद्रह साल के लिए है। अब केंद्र और कर्नाटक तथा तमिलनाडु की सरकारों को फैसले के सुचारु क्रियान्वयन पर ध्यान देना चाहिए। इससे देश में दूसरे नदी जल विवादों के भी समाधान का माहौल बनेगा।

मायूसी क्यों हो? (पत्रिका)

यह भी जरूरी है कि ऐसा कोई भी विवाद जैसे ही खड़ा हो, उसके समाधान के तुरन्त और ठोस उपाय हों।

"सरकारें चुनावों को देखती हैं और न्यायालय अपने यहां मुकदमों के अंबार को। कीमत चुकाती है देश की जनता।"

कावेरी जल विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना अन्तिम फैसला सुना दिया। इस फैसले से तमिलनाडु को मिलने वाले पानी की मात्रा में थोड़ी कमी आई है जबकि कर्नाटक का हिस्सा उतना ही बढ़ा है। लाजिमी तौर पर कर्नाटक खुश हुआ है और तमिलनाडु वालों के चेहरे पर मायूसी है। लेकिन क्या यह मायूसी होनी चाहिए? आखिर न्यायालय ने नदी जल विवाद न्यायाधिकरण के दस साल पुराने फैसले में कोई परिवर्तन किया है तो वह बदलाव उसने बेंगलूरु की पेयजल जरूरतों के लिए किया है। यद्यपि बेंगलूरु की औद्योगिक इकाईयों की बढ़ी हुई पानी की जरूरतों को उसने दोयम नम्बर पर रखा है।

यह किसी से छिपा नहीं है कि बेंगलूरु हो या चौन्नई, मुम्बई हो या कोलकाता अथवा हैदराबाद या जयपुर , सभी कहने को किसी एक राज्य की सीमा में हों पर उनमें देश के दस-दस राज्यों के लोग रह रहे हैं। मुम्बई, कोलकाता और बेंगलूरु को तो अब 'मिनी भारत' ही कहा जाने लगा है। वैसे तो कहीं कोई विवाद होने ही नहीं चाहिए और पीने के पानी पर तो कोई झगड़ा होना ही नहीं चाहिए। राज्यों के नाम पर ज्यादातर विवाद उन राज्यों की सरकारों और राजनीतिक दलों की ओर से खड़े किए जाते हैं जिनका वहां की आम जनता से तब तक कोई सम्बंध नहीं होता, जब तक कि उसे भडकाया-उकसाया नहीं जाए।

यह भी जरूरी है कि ऐसा कोई भी विवाद जैसे ही खड़ा हो, उसके समाधान के तुरन्त और ठोस उपाय हों। आज की तारीख में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, रावी-व्यास और महादयी जैसी अनेकों नदी जल विवाद हैं जिन्होंने देश के एक दर्जन से ज्यादा राज्यों की नींद खराब कर रखी है। बेहतर हो, इन विवादों के त्वरित समाधान का कोई स्थाई तंत्र विकसित किया जाए।

GS World
Committed To Excellence

सबकी है नदी (नवभारत टाइम्स)

कावेरी जल विवाद में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि पानी राष्ट्रीय संपत्ति है और नदी के जल पर किसी भी राज्य का मालिकाना हक नहीं है। जाहिर है, इस फैसले से देश के अन्य राज्यों के बीच चल रहे जल विवाद को सुलझाने का एक मजबूत आधार तैयार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद ट्राइब्यूनल के फैसले के मुताबिक तमिलनाडु को मिलने वाले पानी में कटौती की है, जबकि बेंगलुरु की जरूरतों का ध्यान रखते हुए कर्नाटक को मिलने वाले पानी की मात्रा में 14.75 टीएमसी फीट का इजाफा किया है।इस तरह तमिलनाडु को 177.25 टीएमसी फीट पानी मिलेगा। केरल और पुदुच्चेरी का हिस्सा पहले जैसा ही क्रमशः तीस टीएमसी फीट और सात टीएमसी फीट रहेगा। कोर्ट ने केंद्र को कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड गठित करने को कहा है। इसका गठन होने से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि तमिलनाडु को उसके हिस्से का पानी मिले।

अदालत ने कहा है कि ताजा फैसला पंद्रह साल के लिए है। अब केंद्र और कर्नाटक तथा तमिलनाडु की सरकारों को फैसले के सुचारू क्रियान्वयन पर ध्यान देना चाहिए। कावेरी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले में है और यह कर्नाटक से होकर तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी बहती है। सात सौ पैंसठ किलोमीटर लंबी कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु की जीवनरेखा कही जाती है। दोनों राज्य सिंचाई के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी की मांग करते रहे हैं। विवाद के निपटारे के लिए जून 1990 में केंद्र सरकार ने कावेरी ट्राइब्यूनल बनाया था, जिसने लंबी सुनवाई के बाद 2007 में फैसला दिया। लेकिन इससे कोई संतुष्ट नहीं हुआ। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। कावेरी के पानी का बंटवारा कर्नाटक और तमिलनाडु में राजनीति का प्रमुख मुद्दा रहा है। इस पर दोनों प्रदेशों के राजनेताओं ने कई बार जनभावनाएं भड़काईं, जिस कारण दोनों राज्यों के लोगों के बीच कटुता पैदा हुई।

अब इस पर किसी भी तरह की सियासत बंद होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा फैसला, जो दोनों राज्यों को पूरी तरह संतुष्ट कर सके, लगभग नामुमकिन है। वैसे यह अच्छी बात है कि ताजा फैसले के संदर्भ में दोनों राज्य सरकारों ने एहतियात बरती और फैसला आते ही उन्होंने एक-दूसरे की सीमा में जाने वाली बसें फिलहाल ना चलाने की घोषणा कर दी। देश के और राज्यों के बीच भी नदियों के पानी को लेकर विवाद हैं। जैसे पंजाब और हरियाणा के बीच सतलुज को लेकर, गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच नर्मदा को लेकर, दिल्ली और हरियाणा के बीच यमुना को लेकर, बिहार, यूपी और एमपी में सोन को लेकर अक्सर टकराव की स्थिति बन जाती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कावेरी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जल्द ही इन विवादों का हल निकाल लिया जाएगा।

GS World टीम...

चर्चा में क्यों?

- कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि नदी पर किसी एक राज्य का अधिकार संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पानी राष्ट्रीय संपत्ति है। फैसले के मुताबिक कावेरी नदी से तमिलनाडु को मिलने वाले पानी में कटौती की है। कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि वह अपने अंतरराज्यीय बिलीगुंडलु बांध से कावेरी नदी का 177.25 टीएमसीएफटी जल तमिलनाडु के लिए छोड़े।
- फैसले में यह स्पष्ट किया गया कि कर्नाटक को अब प्रति वर्ष 14.75 टीएमसीएफटी जल अधिक मिलेगा, जबकि तमिलनाडु को 404.25 टीएमसीएफटी जल मिलेगा जो न्यायाधिकरण द्वारा वर्ष 2007 में निर्धारित जल से 14.75 टीएमसीएफटी कम होगा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले में शामिल कुछ तथ्य?

- कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा वर्ष 2007 में किए गए आवंटन के अनुसार कर्नाटक को 270 टीएमसीएफटी जल आवंटित किया गया था। वह अब बढ़कर 284.75 टीएमसीएफटी हो जाएगा।
- प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र, न्यायमूर्ति अमिताव रॉय और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर की पीठ ने यह बहुप्रतीक्षित आदेश सुनाया। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल ने न्यायाधिकरण द्वारा वर्ष 2007 में किए गए आवंटन के खिलाफ याचिका दायर की थी।
- पीठ ने इस याचिका पर अपना फैसला पिछले साल 20 सितंबर को सुरक्षित रखा था।
- प्रधान न्यायाधीश ने फैसले का मुख्य भाग सुनाते हुए कहा कि वर्ष 2007 में न्यायाधिकरण द्वारा केरल के लिए निर्धारित किए गए 30 टीएमसीएफटी और पुडुचेरी के लिए निर्धारित सात टीएमसीएफटी जल में कोई बदलाव नहीं होगा।
- शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु को कावेरी बेसिन के नीचे कुल 20 टीएमसीएफटी जल में से अतिरिक्त 10 टीएमसीएफटी भूजल निकालने की अनुमति भी दी।
- न्यायालय ने कहा कि बेंगलुरु के निवासियों की 4.75 टीएमसीएफटी पेयजल एवं 10 टीएमसीएफटी भूजल आवश्यकताओं के आधार पर कर्नाटक के लिए कावेरी जल का 14.75 टीएमसीएफटी आवंटन बढ़ाया गया।
- कोर्ट ने कहा कि पेयजल को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। कावेरी जल आवंटन पर उसका फैसला आगामी 15 वर्षों तक लागू रहेगा।

क्या है कावेरी नदी जल विवाद?

- कावेरी एक अंतर्राज्यीय नदी है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी इस नदी के बेसिन में आते हैं। इन्हीं चारों राज्यों के बीच एवं विशेष रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच इस नदी के जल के बँटवारे को लेकर विवाद चला आ रहा है।

- इस ऐतिहासिक विवाद के समाधान के लिये 1924 में मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर राज्य के बीच एक समझौता हुआ था।
- उसके बाद भारत सरकार द्वारा 1972 में बनाई गई एक कमेटी की रिपोर्ट और विशेषज्ञों की सिफारिशों के बाद अगस्त 1976 में कावेरी जल विवाद के सभी चारों दावेदारों के बीच एक समझौता हुआ था।
- इस बीच जुलाई 1986 में तमिलनाडु ने अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत इस मामले को सुलझाने के लिये आधिकारिक तौर पर केंद्र सरकार से एक न्यायाधिकरण के गठन किये जाने का निवेदन किया।
- केंद्र सरकार ने 2 जून, 1990 को कावेरी नदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया। वर्ष 1991 में इसने एक अंतरिम फैसला दिया था। वर्ष 2007 में इसने अंतिम फैसला दिया। परन्तु कोई भी पक्ष इसके फैसले से संतुष्ट नहीं हुआ। तब से अब तक इस विवाद को सुलझाने की कोशिश चल रही है।
- भारत में नदी जल विवाद एक गंभीर विषय है। लगभग इसी तरह की समस्या कुछ अन्य नदियों के जल के बँटवारे को लेकर भी है। प्रत्येक राज्य इसी देश का हिस्सा है और राज्यों के बीच इस तरह का विवाद किसी के हित में नहीं है।

देश के महत्त्वपूर्ण नदी जल विवाद

1. नर्मदा नदी जल विवाद - गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान
2. माही नदी जल विवाद- गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश
3. गोदावरी नदी जल विवाद- आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश
4. यमुना नदी जल विवाद- उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली
5. सतलज यमुना लिंक नहर विवाद - पंजाब, हरियाणा और राजस्थान
6. रावी और ब्यास नदी जल विवाद- पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और दिल्ली
7. कावेरी नदी जल विवाद- तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुदुचेरी
8. कृष्णा नदी जल विवाद- महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश
9. कर्मनाशा नदी जल विवाद- उत्तर प्रदेश और बिहार
10. बराक नदी जल विवाद- असम और मणिपुर
11. अलियार और भिवानी नदी जल विवाद- तमिलनाडु और केरल
12. तुंगभद्रा नदी जल विवाद- आंध्र प्रदेश और कर्नाटक

नदी जल विवाद से जुड़े संवैधानिक प्रावधान

- अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के निपटारे हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में प्रावधान है।
- अनुच्छेद 262(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में न्यायिक पुनार्विलोकन और सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है।
- अनुच्छेद 262 संविधान के भाग-11 का हिस्सा है जो केंद्र-राज्य संबंधों पर प्रकाश डालता है।
- अनुच्छेद 262 के आलोक में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधि नियम, 1956 का आगमन हुआ।
- इस अधिनियम के तहत संसद को अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे हेतु अधिकरण बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बराबर महत्त्व रखता है।
- इस कानून में खामी यह थी कि अधिकरण के गठन और इसके फैसले देने में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।
- सरकारिया आयोग(1983-88) की सिफरिशों के आधार पर 2002 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 में संशोधन कर अधिकरण के गठन में विलम्ब वाली समस्या को दूर कर दिया गया।

नदी जल विवाद से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत-

- हर्मन डॉक्ट्रिन या प्रादेशिक अखंडता का सिद्धांत (1896): इसमें ऊपरी तटीय देशों/राज्यों की नदी जल पर प्रादेशिक संप्रभुता होने की बात कही गई थी।
- संपूर्ण प्रादेशिक अखंडता का सिद्धांत (1941): यह सिद्धांत, नदी जल के प्राकृतिक बहाव को अवरुद्ध करने का विरोध करता है।
- न्यायसंगत विभाजन का सिद्धांत: इसमें जरूरत के मुताबिक नदी जल की प्राथमिकता तय करने की बात की गई है, उदहारण के लिये- भारत के सन्दर्भ में सिंधु, कृष्णा एवं गोदावरी नदियों के जल का बँटवारा इसी आधार पर किया गया है।
- परमित क्षेत्रीय संप्रभुता का सिद्धांत(1997): इसमें माना गया है कि नदी जल बहाव वाले समस्त तटीय देशों/राज्यों का नदियों पर समान अधिकार है।

* * *

संभावित प्रश्न

प्रश्न. कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर मुख्य तौर पर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच व्याप्त विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आलोचनात्मक परीक्षण करते हुए तर्क सहित उत्तर प्रस्तुत कीजिये।

पी.एन.बी. घोटाला

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3 (अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

हाल ही में देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक- पंजाब नेशनल बैंक में 11,500 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है। यह मामला तो बेहद गंभीर है। यह घपला पिछले 7 साल से चल रहा था। इससे संबंधित मुद्दों को लेकर हिंदी समाचार पत्र प्रभात खबर, नवभारत टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे जी.एस. वर्ल्ड टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

आम आदमी के पैसे लुटाते बैंक (प्रभात खबर)

देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक- पंजाब नेशनल बैंक में 11 हजार 500 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है। जो नये तथ्य सामने आ रहे हैं, उनके अनुसार यह घोटाला और बड़ा हो सकता है। इसके पहले कई और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बड़े कॉरपोरेट घरानों को करोड़ों का कर्ज देकर हाथ जला चुके हैं।

यह मामला तो बेहद गंभीर है। यह घपला पिछले सात साल से चल रहा था. चेयरमैन व प्रबंध निदेशक सुनील मेहता का कहना है कि यह केवल बैंक की एक ब्रांच और दो कर्मियों तक सीमित था और किसी को इसकी भनक नहीं थी. उनका यह तर्क किसी के गले नहीं उतर सकता। सात साल से यह घोटाला चल रहा था, साढ़े 11 हजार करोड़ का चूना केवल दो बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से लग गया और किसी को कानों-कान खबर नहीं हुई. पीएनबी को कितना गंभीर आर्थिक झटका लगा है, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसका बाजार पूंजीकरण आठ हजार करोड़ रुपये घट गया है, जो पूरे साल के मुनाफे का छह गुना है। मामले में सीबीआइ ने ज्वेलरी डिजाइनर नीरव मोदी, उनकी पत्नी, भाई और व्यापारिक भागीदार और उसके मामा मेहुल चोकसी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। शनिवार को सीबीआइ ने बैंक के पूर्व डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी, सिंगल विंडो ऑपरेटर मनोज खरात और हेमंत भट्ट को गिरफ्तार कर लिया.नीरव मोदी के पिता हीरा कारोबारी थे और वह बेल्जियम चले गये थे। 19 साल की उम्र में नीरव वापस मुंबई आया।

कहा जाता है कि मुंबई में उसने अपने मामा मेहुल चोकसी से धंधा करना सीखा. पीएनबी घोटाले में आरोपी मेहुल भी विदेश भाग गया है। बैंक ने अपने 18 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। पीएनबी में हेराफेरी की खबर के बाद केंद्र सरकार और बैंकिंग क्षेत्र में हड़कंप है। वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि ऐसी स्थिति नहीं है, जिसे बेकाबू कहा जाये. लेकिन, वित्त मंत्रालय के अधिकारी इन खबरों से चिंतित हैं कि इसके तार कुछ दूसरे सरकारों बैंकों से भी जुड़े हुए हैं।

इस मामले पर जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस और भाजपा एक-दूसरे पर आरोपों के तीर छोड़ यह साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि किसकी कमीज ज्यादा सफेद है, क्योंकि यह घोटाला यूपीए सरकार के दौरान शुरू हुआ था और एनडीए तक बेरोकटोक चला आया।

भनक लगते ही और एफआइआर दर्ज होने से पहले नीरव मोदी, उनकी पत्नी, भाई, मामा और उनका परिवार देश छोड़कर चले गये. दिलचस्प तथ्य यह है कि नीरव मोदी की पत्नी अमेरिकी और भाई बेल्जियम का नागरिक है। कुल मिलाकर यह कि उनको भारत

क्या बैंक निजीकरण सही हल है? (नवभारत टाइम्स)

भारत जैसे विशाल देश में 136 करोड़ लोगों के विकास की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बनी सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में सरकारी बैंक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यदि ये न हों, तो विशालकाय केंद्रीय योजनाएं जैसे कि जन-धन योजना, मुद्रा योजना आदि कभी लागू ही न हो सकें. इन्हीं से ही व्यापक सामाजिक उत्थान का स्वप्न देखने में सरकार को एक ठोस धरातल मिलता है।

यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के 86 प्रतिशत से लेकर यूनियन बैंक के 55 प्रतिशत तक भारत सरकार अपनी शेयर होल्डिंग के जरिये सरकारी बैंकों पर पूर्ण नियंत्रण रखती है।

स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में 57 प्रतिशत प्रत्येक, और बैंक ऑफ बड़ौदा में 59 प्रतिशत के साथ अर्थव्यवस्था पर सरकार का गहरा नियंत्रण होता है, किंतु भीमकाय गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) और अविश्वसनीय घोटालों ने इस सरकारी स्वामित्व मॉडल पर ही सवाल उठा दिये हैं। यह मांग उठी है कि सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचकर बाहर हो जाये।

आईये 2007 के अमेरिका में चलें. तब प्राईम लोन बाजार के डूबने से उठे वित्तीय भूचाल में अनेक बड़े ब्रांड वाले विशाल निजी बैंक डूबते चले गये. यही हाल यूरोप में भी हुआ।

इन पश्चिमी पूंजीवादी देशों में इन बैंकों को डूब जाने देना चाहिये था, किंतु सरकारों ने करदाता के पैसे से बेलआउट पैकेज बनाकर इन बैंकों को नया जीवन प्रदान कर दिया. भारी आलोचना हुई कि मुनाफे का तो निजीकरण होता रहा और अब घाटे का सार्वजनिककरण कर दिया गया है।

इस अजीब विरोधाभास का उत्तर हमें बैंकिंग उद्योग की विशिष्ट प्रवृत्ति को समझने से ही मिलेगा. अन्य सभी व्यापारों से इतर, बैंकिंग उद्योग अर्थव्यवस्था की वह धुरी होती है, जिसमें न केवल सभी बैंक एक-दूसरे से जुड़े होते हैं, वरन् प्रत्येक बैंक भी अर्थव्यवस्था के सभी हिस्सों से जुड़ा हुआ होता है, जहां एक बैंक डूबा, वह अपने साथ अनेकों छोटे भूचाल ले आयेगा. उस स्थिति से पैदा होनेवाला सामाजिक विनाश अकल्पनीय हो सकता है, और इसीलिए सरकारें वह जोखिम नहीं लेना चाहतीं।

तो यदि बैंकों को निजी बना दिया गया और कोई भीमकाय बैंक यदि किसी दिन डूबा, तो क्या भारत सरकार वैसा होने देगी? इससे तो बेहतर है कि यदि घाटे का सार्वजनिककरण होना ही है, तो मुनाफे का भी क्यों न हो? अत: यही सही होगा कि बैंकों को सरकारी ही रहने दिया जाये।

Committed To Excellence

पकड़कर लाना बहुत टेढ़ी खीर होगा. हाल में नीरव मोदी स्विटजरलैंड के दावोस में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान नजर आया था।

हालांकि तब उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज नहीं हुई थी. आप कह सकते हैं कि यह बैंक से जुड़ा मामला है, हमारा इससे क्या लेना देना. पीएनबी सरकारी बैंक है यानी हम आप जो आयकर देते और गाढ़ी कमाई जमा करते हैं, उसका पैसा इसमें लगा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि नीरव मोदी हमारे-आपके पैसों को चूना लगा कर विदेश भाग गया है। इसके पहले माल्या भी सरकारी बैंकों के पैसे से मौज करके लंदन भाग गया था. अमेरिका और पश्चिमी देशों में वित्तीय गड़बड़ियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। साथ ही दोषियों को सजा जल्द सुना दी जाती है। लेकिन हमारे देश में वित्तीय फ्रॉड कर लोग देश छोड़ कर बेरोकटोक चले जाते हैं। ललित मोदी, विजय माल्या और अब नीरव मोदी का उदाहरण हमारे सामने है।

आइए, देखते हैं कि हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने कैसे धोखाधड़ी की? पीएनबी ने नीरव मोदी से जुड़े फर्मों को साख पत्र (लेटर ऑफ अंडरटेकिंग) दिया. इसे उन्होंने विदेशों में विभिन्न बैंकों से भुनाया.

यह कारोबार बैंक के अधिकारियों की सांठगांठ से वर्ष 2011 से चल रहा था. जब एक उप-महाप्रबंधक रिटायर हुए, तो उनकी जगह आये एक अन्य अधिकारी ने इस मामले को उजागर किया, अन्यथा यह सिलसिला तो अनंत काल तक चलता रहता. नीरव मोदी से जुड़ी तीन फर्मों- डायमंड्स आर यूएस, सोलर एक्सपोर्ट्स, स्टेलर डायमंड्स ने बैंक से संपर्क कर बायर्स क्रेडिट की मांग की, जिससे वे अपने विदेश के कारोबारियों को भुगतान कर सकें. शिकायत के मुताबिक नीरव मोदी, निश्चल मोदी, अमी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी इन फर्मों में पार्टनर थे. इन फर्मों को बिना किसी गारंटी के बायर्स क्रेडिट प्रदान कर दिया गया. इसके आधार पर हांगकांग की बैंक शाखाओं में धन का स्थानांतरण किया गया.

बायर्स क्रेडिट छोटी अवधि का क्रेडिट (90 से 180 दिनों) का होता है, जिसे अंतरराष्ट्रीय बैंक प्रदान करते हैं। यह आयात करने वाले बैंक से प्राप्त पत्र के आधार पर जारी होता है। इस क्रेडिट नोट के आधार पर नीरव मोदी ने अन्य सरकारी बैंकों से और लोन उठा लिया. खबरों के अनुसार लगभग तीन हजार करोड़ रुपये इसके आधार पर अन्य बैंकों से उठाये गये हैं। ऐसी सूचनाएं हैं कि यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक और निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक ने भी पीएनबी की ओर से जारी साख पत्र (एलओयू) के आधार पर कर्ज दिये हैं। हालांकि इन बैंकों ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है।

घोटाला सामने आने के बाद बैंक और उनके अफससें व कर्मियों पर भी सवाल उठने लगे हैं। आपको याद होगा कि नोटबंदी के दौरान इन्होंने कितना कोहराम मचाया था. खासकर सरकारी बैंकों ने कॉरपोरेट घरानों को हजारों करोड़ के कर्ज बांट रखे हैं और उनसे वसूली नहीं कर पा रहे हैं। अब उन्हें बट्टे खाते में डाल कर छुटकारा पाया जा रहा है। 2016-17 के दौरान देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआइ ने 20,339 करोड़ रुपये और पीएनबी ने 9205 करोड़ रुपये के कर्ज बट्टे खाते में डाले थे. चालू वित्त वर्ष के शुरुआती छह माह में अभी तक सरकारी बैंक 53,625 करोड़ रुपये के कर्ज बट्टे खाते में डाल चुके हैं।

एक आम आदमी और छोटे कारोबारी से पूछकर तो देखें, वह बतायेगा कि कर्ज लेने में कितनी परेशानी पेश आती है। मेरा निजी अनुभव भी बेहद खराब रहा है। वर्षों पहले जब मैंने एक फ्लैट के लिए कर्ज का आवेदन किया, तो मुझसे मेरी जीवन बीमा पॉलिसी रखवा ली गयी और दो गारंटर मांगे गये. यह सब उपलब्ध कराने के बाद ही किसी तरह कर्ज मिला।

हाल में झारखंड में एक शख्स ने मुद्रा लोन न चुका पाने के कारण आत्महत्या कर ली. दूसरी ओर नीरव मोदी जैसे लोग हैं, जिन्हें बिना किसी गारंटी के हजारों करोड़ का कर्ज मिल जाता है और उन्हें इसे चुकाने का कोई तनाव नहीं है। वक्त आ गया है कि केंद्र सरकार पूरी बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाये।

लेकिन, उपरोक्त दिये गये तर्क से यह सच्चाई छुप नहीं जाती कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का वर्तमान पतन एक बड़े खतरे की सूचना है।

वह राजनीतिक दखलअंदाजी, अकुशल और गैर-पेशेवराना प्रबंधन और नेता-बैंकर-कॉरपोरेट के अपवित्र गठजोड़ का परिणाम है। पिछली सरकारों पर हम यह आरोप लगा सकते हैं कि क्यों बैंकों ने बड़ी अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए इतना ऋण दिया, जबकि उस प्रकार के ऋणों में जोखिम आकलन की क्षमता काफी कम थी?

हम वर्तमान सरकार से भी यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो एनपीए 2014 में मात्र ढाई लाख करोड़ रुपये था, वह आज चार गुना बढ़कर एक पहाड़ के रूप में सामने कैसे खडा हो गया? सभी आंतरिक और बाहरी ऑडिट नियंत्रण विफल कैसे होते चले गये? बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या करता रहा? वित्तीय सेवा प्रभाग ने सुध क्यों नहीं ली? और खुल्लम-खुल्ला एलओयू की धोखाधड़ी चलती कैसे रही?

निश्चित ही, यदि हम सरकार को भविष्य में ऐसी समस्याओं के संस्थागत समाधान ढूंढ पाने में अक्षम मान लें, तो निजीकरण ही समाधान दिखता है, लेकिन इससे सामाजिक उत्थान वाली योजनाओं के निष्पादन और आम जमाकर्ताओं के विश्वास पर ग्रहण लग जायेगा. घाटे वाली शाखाओं को निजी बैंक चलने नहीं देगें और लगातार सरकारी दखल की आवश्यकता पड़ेगी. सरकार इस समस्या से वाकिफ है और पीएनबी महाघोटाले के बाद अधिक पेशेवर प्रबंधन लाने की कवायदें और तेज हो गयी हैं।

हाल ही में 2 लाख 11 हजार करोड़ रुपये का पुनर्पूजीकरण कार्यक्रम घोषित हुआ था, जिसकी आभा ने संप्रभु गारंटी पहले से लिए हुए हमारे सरकारी बैंकों को नया जीवन दिया था. पर घोटालों ने फिर से ग्रहण लगा दिया।

चूंकि नुकसान की पूरी मात्रा का आकलन अभी तक नहीं हो पाया है, और जिस सरलता से यह घोटाला चलता रहा, उसने विनियामक शिथिलता को सार्वजनिक रूप से उजागर कर दिया है।

लेकिन, सरकार अब भी पांच कदम उठाकर निजीकरण से बच सकती है। पहला- बैंक होल्डिंग कंपनी बनायी जाये, जिसमें सभी सरकारी बैंकों को शामिल कर लिया जाये।

दूसरा- निष्पक्ष जांच कर घोटालेबाजों को जेल में डाला जाये. तीसरा- प्रस्तावित भगौड़ा आर्थिक अपराध विधेयक शीघ्र पारित किया जाये. चौथा- नेता और पार्टियां बैंकों के प्रबंधन में दखलअंदाजी बंद कर दें और पांचवां- उच्च वेतनमान पर श्रेष्ठ प्रतिभा के हाथों में प्रबंधन सौंपा जाये।

यदि सरकार दृढ़ निश्चय के साथ इन समाधानों पर काम कर सके, तो सरकारी बैंक न केवल लाभप्रद बने रहेंगे, वरन् भारत की वास्तविक आकांक्षाओं को भी अच्छी तरह पूरा कर पायेंगे. अन्यथा, निजीकरण ही एकमात्र रास्ता बचेगा।

संभावित प्रश्न

प्रश्न. हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी बैंक पंजाब नेशनल बैंक में हुई घोटाले ने सरकार की डिजिटल भुगतान अर्थव्यवस्था के साथ-साथ बैंकिंग प्रणाली में व्याप्त कमियों को उजागार किया है। इस दिशा में आरबीआई के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा क्या अपेक्षित सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है? चर्चा कीजिये।

GS World
Committed To Excellence

तंत्र की नाकामी (बिजनेस स्टैंडर्ड)

सरकारी बैंक पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) ने स्वीकार किया है कि उसकी मुंबई की एक शाखा में 114 अरब रुपये की धोखाधड़ी हुई है। फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) को आधार बनाकर विदेशों में अन्य भारतीय बैंकों की शाखाओं से डॉलर में रकम स्थानांतरित की गई। ये एलओयू नीरव मोदी और उनके रिश्तेदारों की रत्न एवं आभूषण कंपनियों के खातों के लिए जारी किए गए थे। इस मामले में पहली प्राथमिकी दर्ज होने के पहले ही जनवरी में मोदी भारत छोड़ गए। जाहिर सी बात है इस कथित घोटाले का असली स्वरूप गहन जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। इस मामले में नतीजों पर पहुंचने की कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए।

बहरहाल, यह स्पष्ट है कि देश के बैंकिंग क्षेत्र की कमजोरी एक बार फिर उजागर हो गई है। देश के बैंकों, खासतौर पर सरकारी बैंकों में जोखिम प्रबंधन की समुचित व्यवस्था नहीं है। यह समस्या केवल पीएनबी तक सीमित नहीं है। हालांकि यह बैंक 2013 में भी हीरे का कारोबार करने वाली कंपनी विनसम से जुड़े ऐसे ही घोटाले में फंसा था। हीरे के कारोबार में बहुत बड़ी राशि विभिन्न देशों के बीच स्थानांतरित होती है। ऐसे में यह कारोबार स्वाभाविक तौर पर धोखाधड़ी और धनशोधन के लिए जांच के दायरे में रहता है। यह चिंता की बात है कि कुछ बैंक इस जोखिम भरे कारोबार को लेकर जरूरी सतर्कता नहीं बरतते। उदाहरण के लिए इस मामले में पीएनबी के साझेदार बैंकों की विदेशी शाखाओं ने एलओयू जारी किए। ये एलओयू नियामकीय अनुशंसा के तहत मान्य माल भेजने के बाद 90 दिन की सीमा से ज्यादा के लिए जारी किए गए। उन कई बैंकों ने भी गलती की है जिन्होंने बिना पीएनबी के साथ उचित जांच परख किए हजारों करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी। इस राशि की गारंटी पीएनबी को देनी थी।

यह सवाल बरकरार है कि आखिर केवल दो कर्मचारी बैंक के भीतरी स्विफ्ट सिस्टम और अनाधिकारिक पत्रों का इस्तेमाल करते हुए जोखिम का पता लगाने वाली हर व्यवस्था को धता बताने में कैसे कामयाब रहे? आखिर धोखाधड़ी पर आधारित यह व्यवस्था इतने लंबे समय तक कामयाब कैसे होती रही? यह सिलसिला पूरे सात साल तक चलता रहा। अगर किसी व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करना इतना आसान हो या ऐसी अनदेखी संभव हो तो क्या यह स्वीकार्य होना चाहिए था? बैंकों के बीच ऐसा सहज तालमेल यह भी बताता है कि सुधार रहित और व्यापक तौर पर राष्ट्रीयकृत बैंकों में किस कदर जोखिम मौजूद है। निजी क्षेत्र हो या सरकारी लेकिन जमाकर्ताओं के पैसे का गंवाया जाना प्रबंधकीय जवाबदेही है। जिन लोगों की वजह से यह गड़बड़ी हुई है उन सभी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।

निजी बैंक जवाबदेही के मोर्चे पर कमजोर रहे हैं लेकिन सरकारी क्षेत्र की स्थिति तो और खराब रही है। उनके संचालन के ढांचे को देखकर इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं होता है। पीएनबी मामला दिखाता है कि सरकारी बैंकिंग क्षेत्र किस कदर दिक्कतों और व्यवस्थागत नाकामी का शिकार है। उनमें निगरानी और प्रक्रियाओं का पालन भी सही ढंग से नहीं हो रहा है। यह सारा कुछ बहुत व्यापक स्तर तक पनप चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक लंबे समय से बैंकिंग क्षेत्र को चेतावनी देता रहा है कि उच्च मूल्य के धोखाधड़ी भरे लेनदेन गंभीर चिंता का विषय बन चुके हैं। नियामक जटिल वित्तीय लेनदेन को लेकर नियम कड़े करता रहा है। उसने निगरानी बढ़ाई और बैंकों के बोर्डों को ऐसे खतरों को लेकर समय-समय पर अवगत कराता रहा है। जब तक उनमें प्रमुख हिस्सेदार यानी सरकार जवाबदेही नहीं डालती है तब तक समय-समय पर ऐसे मामले सामने आते ही रहेंगे।

महाघोटाला (हिन्दुस्तान)

विजय माल्या के वित्तीय घोटाले से जिनकी आंखें न खुली हों, उनकी अब खुल जानी चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक में हुए घोटाले की ताजा खबर हैरान करने वाली भी है और परेशान करने वाली भी। मुंबई में बैंक की सिर्फ एक शाखा में 11,300 करोड़ रुपये का घोटाला यह बताता है कि हमारा बैंकिंग क्षेत्र अभी भी इतने ढीले-ढाले ढंग से चल रहा है कि उसमें बहुत आसानी से इतना बड़ा घोटाला किया जा सकता है। घोटाला कितना बड़ा है, इसे सिर्फ इसी आंकड़े से समझा जा सकता है कि पिछले साल बैंक की कार्यशील आमदनी महज 12,216 करोड़ रुपये थी। यानी सिर्फ एक घपले ने इसका लगभग पूरी तरह ही सफाया कर दिया। और जहां तक मुनाफे की बात है, तो बैंक पहले ही घाटे में चल रहा है। जाहिर है, यह घाटा अब और बढ़ेगा। इस पूरे घपले से बैंक को कितनी चपत लगी है, यह बैंक ने अभी स्पष्ट नहीं किया है। जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है, वह है एक ही बैंक शाखा से इतनी बड़ी रकम की हेरा-फेरी हो जाना। यह ठीक है कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और देश के सबसे बड़े वित्तीय लेन-देन वहीं होते हैं, फिर भी एक ही शाखा से इतनी बड़ी रकम का पार हो जाना ऐसी बात है, जो आसानी से हजम नहीं होती। अभी यह भी नहीं पता कि यह पूरा घपला एकबारगी हुआ या यह पिछले कुछ समय से चल रही घपले की प्रक्रिया का कुल योग है। दोनों ही तरह से यह बताता है कि हमारी बैंकिंग व्यवस्था में सब कुछ चाक-चौबंद नहीं है।

खबर से सिर्फ इतना ही पता लगा है कि यह मामला कुछ कंपनियों को दिए गए एडवांस का है। तकरीबन एक साल पहले बेंगलुरु के भारतीय प्रबंधन संस्थान ने बैंक धोखाधड़ी के मामलों का अध्ययन किया था। इस अध्ययन में पाया गया था कि बैंकों में सबसे ज्यादा धोखाधड़ी इसी एडवांस से होती है। इसे ही बैंकों के डूब गए कर्ज यानी एनपीए का सबसे बड़ा कारण बताया गया था। हम यह भी जानते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का एनपीए लगातार बढ़ रहा है। लेकिन जब भी एनपीए की बात आती है, यह मान लिया जाता है कि कुछ लेने वाले हैं, जो बैंकों का पैसा लेकर बैठ गए हैं और वापस नहीं कर रहे। यह बात अक्सर नजरअंदाज हो जाती है कि इसमें से कितना बैंक के अपने तंत्र की खामियों की वजह से हो रहा है। ऐसी बातें तभी सामने आती हैं, जब रकम बहुत बड़ी हो, जैसे विजय माल्या के मामले में थी, या फिर पंजाब नेशनल बैंक के ताजा घोटाले के मामले में है। यानी सिर्फ तब, जब घोटाले की प्रकृति पर परदा डालना संभव न हो।

हमारे लिए यह चिंता का विषय इसलिए भी है कि पंजाब नेशनल बैंक एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। यह ठीक है कि पिछले कुछ समय में पूंजी बाजारों से काफी पूंजी हासिल की गई है, लेकिन इसका मूल आधार तो वही पूंजी है, जो करदाताओं की मेहनत की कमाई से बैंक के पास पहुंची है। यहां यह भी बता दें कि ऐसे घपले-घोटाले अपने देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ही सबसे ज्यादा होते हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान का अध्ययन भी बताता है कि हमारे देश में 83 प्रतिशत से ज्यादा बैंक घपले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में होते हैं। एडवांस से संबंधित घपलों के मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी 87 प्रतिशत है। आम लोगों के पैसों के साथ इस तरह का व्यवहार किसी भी कीमत पर रोका ही जाना चाहिए।

GS World
Committed To Excellence

बैंकों के बिगड़ते ढांचे को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए बैंकिंग सुधर होना चाहिए

(दैनिक जागरण)

हीरा व्यापारी नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक के जरिये जो ध ोखाधड़ी की उसे 11 हजार करोड़ रुपये का घोटाला बताया जा रहा है। यह राशि बैंक के कुल बाजार पूंजीकरण के एक तिहाई के बराबर और बैंक के एक साल के मुनाफे का दस गुना है। इसी कारण यह घोटाला बैंकों की गिरती साख पर बट्टा लगाने और आम आदमी के भरोसे को डिगाने वाला है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में घपले-घोटाले कोई नई बात नहीं हैं। छोटे-मोटे घोटाले न जाने कब से हो रहे हैं, लेकिन पीएनबी का यह घोटाला जितना बड़ा है उतना ही गंभीर भी। इसने मोदी सरकार के सामने यह चुनौती खड़ी कर दी है कि वह इससे पार पाए-न केवल वित्तीय, बल्कि राजनीतिक तौर पर। मोदी सरकार को अन्य सवालों के साथ इस सवाल से भी दो-चार होना पड़ रहा है कि करीब चार साल के अपने कार्यकाल में वह बैंकों में जरूरी सुधार क्यों नहीं लागू कर सकी? मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद से ही यह कह रही है कि संप्रग शासन में जो तमाम अनाप-शनाप कर्ज बांटे गए वे एनपीए में तब्दील हो चुके हैं और उसके कारण ही बैंक संकट में हैं। संसद के बजट सत्र में यह आरोप खुद प्रधानमंत्री ने कांग्रेसी नेताओं पर मढ़ा था।

बैंक फंसे कर्ज को वसूल पाने में नाकाम

एक आंकड़े के अनुसार बैंकों का कुल फंसा कर्ज यानी एनपीए करीब आठ लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। चिंता की बात यह है कि इसके बढ़ने की ही आशंका है। चूंकि बैंक फंसे कर्ज वसूल पाने में नाकाम हैं इसलिए उन्हें इस कर्ज को बट्टे खाते में डालना पड़ रहा है। इससे उनकी वित्तीय हालत बिगड़ रही है और सरकार को सरकारी कोष के पैसे यानी आम जनता की गाढ़ी कमाई उन्हें बतौर पूंजी उपलब्ध करानी पड़ रही है ताकि उनकी माली हालत सुधर जाए, लेकिन आखिर यह सिलसिला कब तक कायम रहेगा? क्या सरकार यह दावा करने की स्थिति में है कि अगले दो सालों में बैंकों को दो लाख 11 हजार करोड़ रुपये की पूंजी मुहैया कराने के बाद उनका एनपीए नहीं बढ़ेगा? सरकार को यह अहसास होना चाहिए कि उसकी ओर से उठाए गए कदमों के बाद भी बैंकों में वांछित सुधार नहीं आ पाया है। इसी का ताजा प्रमाण पीएनबी घोटाला है। भले ही सरकारी बैंक शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के साथ रिजर्व बैंक से निर्देशित होते हों, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली अभी भी पारदर्शिता एवं जवाबदेही से परे और घोटालेबाजों के लिए मददगार है।

कर्ज देने में सतर्कता भी नहीं बरत रहे हैं बैंक

यदि बैंक सरकार और रिजर्व बैंक के नियम-निर्देशों की उपेक्षा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले की तरह अभी भी बैंकों के चेयरमैन और निदेशक रसूखदार लोग ही बन रहे हैं? क्या कारपोरेट गवर्नेंस के नाम पर केवल साज-सज्जा में तब्दीली हो रही है? अगर रिस्क मैनेजमेंट के नाम पर खानापूरी नहीं की गई होती तो यह हो ही नहीं सकता था कि बैंकों का एनपीए बढ़ता रहता। अब तो यह भी लगता है कि

पहले देश को गजनी, गौरी और अंग्रेजों ने लूटा तथा अब उद्योगपति लूट रहे हैं: शांता कुमार

(पंजाब केसरी)

लगभग एक महीने के भीतर देश में 2 बड़े बैंक घोटाले उजागर हुए। देश के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीयकृत बैंक पंजाब नैशनल बैंक के साथ 11,400 करोड़ रुपए के ऋण घोटाले, जोकि कुछ बैंकरों तथा सरकारी अधिकारियों के अनुसार 20,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, में शामिल मुख्य आरोपी 'फायर स्टार डायमंड्स' का मालिक नीरव मोदी देश छोड़ कर जा चुका है जबकि एक अन्य आरोपी 'गीतांजलि जैम्स' का मालिक मेहुल चोकसी भी भारत से बाहर है।

इस घोटाले को लेकर उठा तूफान अभी थमा भी नहीं था कि 'रोटोमैक पैन कम्पनी' के मालिक प्रसिद्ध उद्योगपति विक्रम कोठारी द्वारा विभिन्न बैंकों को करोड़ों का चूना लगाने का समाचार आ गया। आज जबकि हर ओर बड़े व्यवसायियों द्वारा बैंक अधिकारियों की मिली-भगत से अरबों रुपए इधर से उधर किए जा रहे हैं, मुझे इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1975-76 के दौरान बैंकों द्वारा गरीबों को रिक्शा खरीदने के लिए शुरू करवाए गए ऋण देने के अभियान की याद आ रही है।

जिन दिनों यह अभियान शुरू किया गया था, स्टेट बैंक आफ इंडिया जालंधर, जहां हमारा अकाऊंट था, के ब्रांच मैनेजर हमारे पास आए और 200-250 रिक्शा चालकों को रिक्शा खरीदने के लिए दिए जाने वाले ऋण वितरण समारोह में आने के लिए मुझे तथा बड़े भाई रमेश जी को निमंत्रित किया। हम समारोह में गए जहां भारी रौनक और खुशी भरे माहौल के बीच ऋण बांटा गया और बाद में जब हम लोग चाय पर बैठे तो मैंने बैंक मैनेजर के समक्ष आशंका जाहिर करते हुए कहा कि क्या ये पैसे वापस आ जाएंगे? इस पर उन्होंने कहा कि ये पैसे तो वापस आ जाएंगे अलबत्ता 'बड़े' लोगों को दिया हुआ ऋण वापस आना मुश्किल होता है।

यह तो उन दिनों की बात है जब बैंकों में धोखाधड़ी के छिटपुट मामले ही सामने आते थे परंतु आज तो पूरी तरह से हालात बिगड़ चुके हैं। एक ओर जहां गरीब और आम लोग ईमानदारी भरा जीवन जी रहे हैं तथा बैंकों का ऋण न चुका पाने की 'शमदगी' में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, तो दूसरी ओर समाज के तथाकथित प्रभावशाली और उच्च वर्ग से संबंधित चंद हाई प्रोफाइल लोग बैंकों का धन हड़प रहे हैं। इसी बारे वरिष्ठ भाजपा नेता श्री शांता कुमार ने एक बयान में यही बात कही है कि, ''आज ऋण के बोझ तले दबे किसान तो आत्महत्याएं कर रहे हैं जबकि व्यापारी सार्वजनिक बैंकों का पैसा लेकर विदेश भाग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया था कि इस प्रकार के ऋण लोगों को नहीं दिए जाएंगे लेकिन सच्चाई इससे भिन्न है तथा मुगलों और अंग्रेजों की तरह देश को लूटने का रुझान अभी भी जारी है।''

GS World
Committed To Excellence

सरकारी बैंक बैंकिंग के उन तौर-तरीकों से कन्नी काट रहे हैं जिनसे घपले-घोटालों से बचा जा सके। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि बैंक पहुंच और प्रभाव वालों को कर्ज देने में न्यूनतम सतर्कता भी नहीं बरत रहे हैं। उलटे यह दिख रहा है कि लॉबिंग और जोड़तोड़ के जरिये अपात्र एवं संदिग्ध लोग कर्ज हासिल करने में सक्षम हैं। यह शायद कर्ज लेने वालों की वित्तीय क्षमता का उचित आकलन न किए जाने का ही नतीजा है कि उनमें से कई भारी-भरकम कर्ज लेकर विलफुल डिफॉल्टर बन जा रहे हैं।

पीएनबी घोटाले ने सरकारी बैंकों के ऑडिट "स्टम की भी पोल खोल दी

चिंता की बात यह है कि नया दीवालिया कानून भी फंसे कर्जों की वसूली में अपेक्षित सहायक नहीं हो पा रहा है। यह जनता के साथ धोखा है कि पूंजीपतियों या कारपोरेट समूह को दिए जाने वाले कर्ज की वसूली न हो पाए तो उसकी भरपाई बेलआउट पैकेज यानी करदाताओं के पैसे से की जाए। एनपीए के मामले में निजी क्षेत्र के बैंक अपेक्षाकृत कम समस्याग्रस्त हैं। आखिर निजी क्षेत्र के बैंकों जैसी सतर्कता सरकारी बैंक क्यों नहीं बरत सकते? नीरव मोदी से जुड़े घोटाले में सामने आया है कि पीएनबी के जिस अधिकारी ने उसकी मदद की वह एक ही शाखा में लंबे समय से तैनात था। यह हैरत की बात है कि वह इतने वर्षों तक नीरव मोदी के पक्ष में फर्जी तरीके से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) जारी करता रहा और किसी ऑडिट में इसे पकड़ा नहीं जा सका। किसी ने इसकी भी सुधि नहीं ली कि एलओयू के जरिये इतना पैसा जा तो रहा है, लेकिन आ क्यों नहीं रहा है? इस घोटाले ने सरकारी बैंकों के ऑडिट सिस्टम की भी पोल खोल दी है। लगता है कि ऑडिट सिस्टम एक किस्म का फर्जीवाड़ा ही है।

बैक के चेयरमैन, निदेशकों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं?

मोदी सरकार ने पीएनबी घोटाला उजागर होने के बाद लगभग आधा दर्जन एजेंसियों को सक्रिय कर दिया है जो नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और धोखाधड़ी में शामिल अन्य लोगों पर शिंकजा कस रही हैं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि पीएनबी के 18 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमें से जिन दो को गिरफ्तार किया गया है उनमें एक डिप्टी मैनेजर और दूसरा साधारण कर्मचारी है। आखिर बैंक के चेयरमैन, निदेशकों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं? यह अजीब है कि जब सरकारी तंत्र में किसी घपले-घोटाले में जनता के करोड़ों-अरबों रुपये इधर-उधर होते हैं तो निचले स्तर के अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करके इतिश्री कर ली जाती है। आम तौर पर बड़े अफसर और उन्हें नियुक्त करने वाले शीर्षस्थ लोगों का कुछ भी नहीं होता। यह स्थिति तब बदल जाती है कि जब निजी क्षेत्र की किसी कंपनी में कोई घोटाला या हादसा होता है तब राजनीतिक माहौल अपने पक्ष में करने के लिए उसके मालिक, चेयरमैन, निदेशक आदि की गिरफ्तारी में देर नहीं की जाती? यह बात और है कि प्राय: उनके मामले भी रफा-दफा हो जाते हैं। सरकारों के ऐसे तौर-तरीके घपले-घोटाले और अव्यवस्था को बढ़ाने का ही काम कर रहे हैं।

"लम्बे समय तक भारत को गजनी, गौरी तथा अंग्रेजों ने लूटा और अब देश के उद्योगपति आधुनिक दौर के गजनी और गौरी बन गए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हमारी सम्पदा लूटने वाले अजनबी थे, अब हमारी अपनी सरकार इसकी अनुमति दे रही है जोकि दुर्भाग्यपूर्ण है।" "फसल न होने पर किसान ऋण न चुका पाए तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाती है लेकिन बिजनैस टायकूनों के मामले में ऐसा नहीं किया जा रहा। अभी तक ऋण के कारण 3 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं परंतु करोड़ों रुपए लेकर विदेश भाग जाने वालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा रही।" "स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद भी देश को लूटने का रुझान पहले जैसा ही है। लोग वही हैं सिर्फ शोषण करने वालों के चेहरे बदल गए हैं। चंद बिजनैस टायकूनों ने नियमों की उपेक्षा और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से भारी ऋण लिए।"

"इन ऋणों तथा सरकार द्वारा डिफाल्टरों के विरुद्ध एक्शन न लेने के कारण भारत में बैंकों की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है और सरकार को 88,000 करोड़ रुपया बैंकों को देना पड़ा है जो देश के गरीब और आम लोगों का धन है।" उनके इस बयान ने मुझे इंगलैंड के दिवंगत प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल के प्रसिद्ध कथन की याद दिला दी कि, "भारतीय लोग शासन करने के काबिल नहीं, वे केवल अपने ऊपर शासन करवाने के ही उपयुक्त हैं।" (प्दकपंदे तम दवज पिज जव तनसम ,जीमल तम दवज पिज जव इम तनसमक.)आज मुझे स्टेट बैंक के मैनेजर का वह कथन याद आ रहा है कि रिक्शा वालों को दिए हुए पैसे तो वापस आ जाएंगे, अलबत्ता बड़े लोगों को दिया ऋण वापस आना मुश्किल होता है। इस संबंध में शांता जी ने जो बयान दिया है वह भी तथ्यों पर आधारित है जिसके लिए वह साधुवाद के पात्र हैं।

GS World
Committed To Excellence

मोदी सरकार ने बैंकिंग सुधर के कड़े कदम नहीं उठाए

पीएनबी घोटाले को लेकर अभी बहुत कुछ सामने आना शेष है, लेकिन उसके पहले ही आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। आज जरूरत इसकी है कि सत्तापक्ष के साथ विपक्ष इस पर ध्यान दे कि बैंकिंग सिस्टम प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त हो। बैंकिग व्यवस्था में सुधार की सलाह देने वाली संसदीय समितियों में पक्ष-विपक्ष के नेता शामिल रहते हैं। ऐसे नेता यह नहीं कह सकते कि सरकार या विपक्ष में रहते समय उन्हें भ्रष्ट बैंकिंग सिस्टम की जानकारी नहीं हो सकी, लेकिन जब बात सुधार के कड़े कदमों की आती है तो वे कन्नी काट लेते हैं। पीएनबी घोटाले से यह साफ हो गया कि न तो संप्रग सरकार के समय बैंकिंग सुधार के कड़े कदम उठाए गए और न ही बीते चार साल में राजग सरकार के दौरान। बैंकों के बगैर देश का काम नहीं चल सकता। उन्हें कुप्रबंधन से मुक्त करके उचित निगरानी प्रक्रिया से लैस करना ही होगा। किसी भी देश के विकास के लिए जिस वित्तीय ढांचे की जरूरत होती है वह बैंक ही उपलब्ध कराते हैं। चूंकि वही एक तरह से धन की देख-रेख करते हैं इसलिए उनका ढांचा पारदर्शी और भरोसेमंद होना ही चाहिए।

GS World टीम...

क्या है पूरा मामला?

- भारत के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक में 11,300 करोड़ रुपये का नया घोटाला सामने आया है। पंजाब नेशनल बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया है कि मुंबई की एक ब्रांच में 1.8 अरब डॉलर यानी करीब 11,300 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी सामने आई है।

2017 की कमाई का 8 गुना बड़ा घोटाला

- पंजाब नेशनल बैंक की 2017 में 1320 करोड़ नेट इनकम थी, यानी घोटाला साल भर की नेट इनकम का आठ गुना है। पंजाब नेशनल बैंक में घोटाले का एक और मामला कुछ दिनों पहले सामने आया था जिसमें एक ज्वैलर ने कथित तौर पर पंजाब नेशनल बैंक की फर्जी गारंटी के पत्रों के जरिए 2800 करोड़ रुपए का लोन ले डाला था। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि इन दोनों घोटालों का आपस में संबंध है या नहीं। लेकिन उस वक्त भी बैंक ने कहा था कि वो मामले की जांच कर रहा है।

कैसे हुआ फ्रॉड?

- डायमंड इंपोर्ट करने को लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए पीएनबी से संपर्क किया गया। नीरव मोदी के लिए पीएनबी सप्लायर्स को भुगतान करता था। इसके बाद में नीरव मोदी से पैसे वसूले जाते थे। पीएनबी अधिकारियों ने जाली लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी किए। भारतीय बैंक की विदेशी शखाओं ने डॉलर में लोन दिए और लोन का इस्तेमाल बैंक के नोस्ट्रो अकाउंट की फंडिंग के लिए हुआ। एकाउंट्स से फंड को विदेश में कुछ फर्मों को भेजा गया। नोस्ट्रो अकाउंट एक भारतीय बैंक का विदेशी बैंक में खाता है।

क्या है LoU ?

- LoU लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, यह एक तरह की बैंक गारंटी है और बैंक किसी ग्राहक की गारंटी देता है। LoU के आधार पर दूसरे बैंक पैसा देते हैं और खाताधारक के डिफॉल्टर होने पर बैंक की जिम्मेदारी होती है। LoU देनेवाला बैंक दूसरे बैंक का बकाया चुकाएगा।

इन बैंकों पर पड़ेगे असर

- इससे दो पब्लिक सेक्टर बैंक और एक प्राइवेट बैंक पर असर पड़ेगा। इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक और एक्सिस बैंक पर असर पड़ेगा। इन तीनों बैंकों ने आरोपी को क्रेडिट की पेशकश की थी। पीएनबी के लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के आधार पर पेशकश की।
- वित्त मंत्रालय के अनुसार पीएनबी फ्रॉड मामले में छह कंपनियों को 9539.38 करोड़ रुपये के एलओयू और 1799.36 करोड़ रुपये के एफएलसी जारी हुए। इसके आधार पर सोलर एक्सपोर्ट, स्टेलर डायमंड, डायमंड आर यूएस, गीतांजलि जेम्स, गिली इंडिया, नक्षत्र और चंद्री पेपर्स को जारी हुए।

* * *

"एवरी चाइल्ड अलाइव" रिपोर्ट

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1 (सामाजिक मुद्दा) से संबंधित है।

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बालकोष द्वारा 'एवरी चाइल्ड अलाइव' नामक रिपोर्ट में नवजात मृत्यु दर पर देशवार रैंकिंग जारी की गई है। भारत में नवजात बच्चों की स्थिति पर यूनिसेफ की रिपोर्ट चौकाने वाली है। इसमें सबसे खराब स्थिति में पाकिस्तान भले दिखें, भारत कोई बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है। नवजात बच्चों की स्थिति को लेकर हिन्दी समाचार पत्र नवभारत टाइम्स, हिन्दुस्तान में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे जी.एस. वर्ल्ड टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

मौत से बचाएं बच्चों को (नवभारत टाइम्स)

साल 2017 के शुरुआती छह महीनों में राजधानी दिल्ली में 433 बच्चे अपने जीवन के तीस दिन भी पूरे नहीं कर पाए। कारण बनीं न्यूमोनिया, मैनिंजाइटिस और छोटे-मोटे इनफेक्शन, जिनसे शिशुओं को बचाने के उपाय पूरी दुनिया को पता हैं। यूनिसेफ ने इस साल दुनिया में नवजात मृत्यु दर का हाल-चाल बता दिया है। पाकिस्तान अपने नवजात शिशुओं को बचाने में सबसे फिसड्डी साबित हुआ है।

पिछले साल वहां 2 लाख 48 हजार बच्चों की मौत पैदा होने के महीने भर के अंदर उन्हीं बीमारियों से हुई, जिनके शिकार दिल्ली के बच्चे हुए थे। वैसे, दुनिया भर में पैदा होने के महीने भर के अंदर मरने वाले बच्चों की संख्या देखें तो 12वें नंबर पर होने के बावजूद यह दुख दुनिया में सबसे ज्यादा भारत के ही हिस्से आया है। पिछले साल देश में 6 लाख 40 हजार बच्चों ने जीवन का 31वां दिन नहीं देखा। यह चीज हमारे देश को बांग्लादेश, भूटान, मोरक्को और कांगो से भी पीछे धकेल देती है। बदहाली में पाकिस्तान के पहले नंबर पर होने का कारण यह है कि वहां दस हजार लोगों पर केवल 14 स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। राजनीतिक ढांचा डांवाडोल है और अशिक्षा भीषण है।

भारत में राजनीति का मोर्चा उतना बदहाल न सही, पर अपने यहां सात हजार की आबादी एक ही डॉक्टर के सहारे है। सन 2002 में तय की गई भारतीय स्वास्थ्य नीति में स्वास्थ्य पर जीडीपी का दो फीसद खर्च करने की बात थी। यह लक्ष्य आज तक तो पूरा हुआ नहीं, ऊपर से हमारी सरकारें हर साल स्वास्थ्य सुविधाओं को और बीमार करती जा रही हैं। ले-देकर देश भर में केरल, गोवा और मणिपुर ही बचते हैं, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि यहां विश्व स्तरीय सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं आमजन को उपलब्ध हैं।

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का हाल इतना बुरा है कि डब्लूएचओ के आंकड़ों मुताबिक इथियोपिया, घाना और आपदाग्रस्त हैती में भी यहां से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। यूनिसेफ ने बताया है कि जापान, सिंगापुर या आइसलैंड में जन्म लेना दुनिया में सबसे सुरक्षित है। हमारे बच्चों की जान बच सकती है, बशर्ते देश के अस्वस्थ राज्य केरल, गोवा और मणिपुर के मॉडल की नकल करना शुरू करें।

सतर्क करती रिपोर्ट (हिन्दुस्तान)

भारत में नवजात बच्चों की स्थिति पर यूनीसेफ की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। इसमें सबसे खराब स्थिति में पाकिस्तान भले दिखे, भारत कोई बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है। भारत उन दस देशों में है, जहां नवजात बच्चों की सबसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। रिपोर्ट चौंकाती है कि लाख जतन के बावजूद नवजात शिशु मृत्यु-दर के मामले में हम बहुत कुछ नहीं कर सके हैं और आज भी बांग्लादेश, इथियोपिया, गिनी-बिसाऊ, इंडोनेशिया, माली, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तंजानिया के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिनके बारे में रिपोर्ट बहुत मुखर है कि नवजात का जीवन सुरक्षित करने के लिए सबसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत इन्हीं को है। रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान सबसे ज्यादा जोखिम वाला देश है, जहां प्रति 22 नवजात में से एक अपना पहला महीना पूरा करने से पहले ही दम तोड़ देता है, जबकि भारत में यह संख्या प्रति हजार पर 26 है, यानी थोड़ा बेहतर। आश्चर्यजनक रूप से बांग्लादेश, नेपाल और भूटान भी इस मामले में हमसे बेहतर हैं। नवजात शिशुओं के लिए सबसे सुरक्षित जापान है, जहां प्रति एक हजार में यह दर एक से भी नीचे है।

आखिर तमाम तरक्की के बाद भी हम नवजात और मातृ मृत्यु-दर के मामले में इतने विपन्न क्यों हैं? क्यों हमारे देश में हर साल जन्म लेने वाले दो करोड़ साठ लाख में से छह लाख, 40 हजार नवजात मौत के मुंह में समा जाते हैं? यह जरूर सुखद है कि भारत ने पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु-दर में नियंत्रण पाया है और इस मामले में तमाम देशों से आगे है। लेकिन बड़ा सवाल है कि जिस देश ने पांच साल से नीचे वाली मौतों पर अप्रत्याशित नियंत्रण पाया हो, वह नवजातों के मामले में फिसड्डी क्यों है? इनमें से 80 फीसदी मामलों में तो सिर्फ सतर्कता से बचाया जा सकता है।

यूनीसेफ की रिपोर्ट चौंकाती कम, सतर्क ज्यादा करती है। भारत में नवजात मृत्यु, शिशु व मातृ मृत्यु-दर हमेशा से बहस में रही हैं, लेकिन इन पर अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं हुआ। चिकित्सा विज्ञान में बहुत कुछ कर लेने के बावजूद इस मामले में हम अब भी संभल नहीं पाए हैं। इसका बड़ा कारण परिवेशगत और भौगोलिक ढांचे के साथ मूलभूत सुविधाओं की कमी है। सरकारी नीतियों की अदूरदर्शिता व प्रशासनिक लापरवाही ने सुदूर इलाकों में वे सुविधाएं मुकम्मल नहीं होने दी हैं, जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। दूरदराज के तमाम इलाकों में आज भी प्रसव के लिए किसी तरह लादकर उन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक लाना पड़ता है, जहां आमतौर पर न्यूनतम सुविधाएं और संसाधन तक नहीं होते। यही कारण है कि नवजात क्या, शिशु और मातृ मृत्यु-दर पर भी हम नियंत्रण नहीं कर पा रहे।

GS World
Committed To Excellence

संभावित प्रश्न

प्रश्न. भारत में नवजात बच्चों की स्थिति पर यूनीसेफ की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। इस समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार को क्या बेहतर कदम उठाए जाने चाहिए? चर्चा कीजिए।

बड़ा तथ्य यह है कि हमारे यहां जितनी महिलाएं हर रोज बच्चा पैदा करने के दौरान मरती हैं, उससे कहीं ज्यादा गर्भ संबंधी बीमारियों का शिकार होती हैं, जिसका दंश उनके साथ लंबे समय तक चलता है। अगली जचकी में भी इसका असर पड़ता है और फिर यह सिलसिला चलता जाता है। इससे निजात सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में आमूल बदलाव से ही संभव है। 2030 तक नवजात मृत्यु-दर का आंकड़ा 12 पर समेटने का लक्ष्य भी शायद तभी पूरा हो सकेगा। एक चिंताजनक पहलू इस तालिका में भी बालिका शिशु मृत्यु-दर का अधिक होना है, जिसके लिए सामाजिक ताने-बाने का बारीक अध्ययन कर समाधान तलाशने की जरूरत है।

GS World टीम...

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा 'एवरी चाइल्ड अलाइव' (Every Child Alive) नामक रिपोर्ट में नवजात मृत्यु दर पर देश वार रैंकिंग जारी की गई है।
- नवजात मृत्यु दर को जन्म के पहले 28 दिनों (0-27 दिनों) के दौरान प्रति 1000 नवजातों पर होने वाली मौतों के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- रिपोर्ट में भारत को उन दस देशों की सूची में रखा गया है जहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि नवजात बच्चे जीवित रह सकें। वहीं, नवजात बच्चों के जन्म के संदर्भ में पाकिस्तान सबसे ज्यादा असुरक्षित देश है।

प्रमुख बिंदु

- इस रिपोर्ट के मुताबिक कम आय वाले देशों में औसत नवजात शिशु मृत्यु दर उच्च आय वाले देशों की तुलना में नौ गुना ज्यादा है।
- हालाँकि कई देशों का प्रदर्शन इस प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं है। उदाहरण के लिये भारत की तरह कम-मध्यम आय अर्थव्यवस्थाओं के रूप में वर्गीकृत श्रीलंका और यूक्रेन में 2016 में नवजात मृत्यु दर लगभग 5/1000 थी।
- इसकी तुलना में एक उच्च-आय वाली अर्थव्यवस्था के रूप में वर्गीकृत अमेरिका का भी 3.7 की दर के साथ उत्साहवर्द्धक प्रदर्शन नहीं रहा है।
- इसी बीच प्रति व्यक्ति 1,005 डॉलर से भी कम आय वाले रवांडा ने गरीब और सुभेद्य माताओं पर केन्द्रित कार्यक्रमों के माध्यम से नवजात मृत्यु दर को 1990 के दशक में 41/1000 से 16.5 तक कम कर दिया है।
- इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग बांग्लादेश, नेपाल और रवांडा जैसे देशों से भी नीचे है। यह रैंकिंग दर्शाती है कि स्वास्थ्य सूचकांकों पर सुधार करने में वित्तीय संसाधन की बजाय राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रमुख बाधा है।
- रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर प्रतिदिन लगभग 7000 नवजात बच्चों की मृत्यु हो जाती है।
- इनमें से 80% से अधिक मामलों में प्रशिक्षित डॉक्टरों, नर्सों आदि के माध्यम से किफायती, गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करके, प्रसव-पूर्व माता की और प्रसव-पश्चात् माता और शिशु दोनों के लिये पोषण, स्वच्छ जल जैसी बुनियादी सुविधाएँ सुनिश्चित करके बच्चों की जान बचाई जा सकती है।

सबसे अच्छी स्थिति वाले तीन देश

- रिपोर्ट के अनुसार कम मृत्यु दर की बात करें तो जन्म लेने के संदर्भ में जापान, आइसलैंड और सिंगापुर सर्वाधिक सुरक्षित देश हैं जहाँ प्रति हजार जन्म पर मृत्यु दर क्रमशः 0.9, 1 और 1.1 रही।
- अर्थात् इन देशों में जन्म लेने के पहले 28 दिनों में प्रति हजार बच्चों पर मौत का केवल एक मामला ही सामने आता है।

भारत की स्थिति

- वर्ष 2016 में (संख्या के संदर्भ में) नवजातों की मृत्यु के मामले में 6,40,000 नवजातों की मृत्यु के साथ भारत शीर्ष पर रहा।
- भारत में नवजात मृत्यु दर 25.4 प्रति हजार रही अर्थात् प्रत्येक 1000 जीवित बच्चों में से 25.4 की मृत्यु हो जाती है।
- वैश्विक स्तर पर जन्म लेने के कुछ समय या दिनों में नवजातों की मृत्यु के 24% मामले भारत में दर्ज किये गए थे।
- वहीं, संख्या के संदर्भ में पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है, जहाँ वर्ष 2016 में 2,48,000 नवजातों की जन्म के कुछ समय बाद ही मृत्यु हो गई।

Countries with the largest number of newborn deaths in 2016	Number of newborn deaths (in thousands)	Share of all global newborn deaths (%)	Newborn mortality rate (deaths per 1,000 live births)
India	640	24	25.4 [22.6, 28.4]
Pakistan	248	10	45.6 [33.9, 61.5]
Nigeria	247	9	34.1 [24.7, 46.3]
Democratic Republic of the Congo	96	4	28.8 [19.5, 41.5]
Ethiopia	90	3	27.6 [21.7, 35.2]
China	86	3	5.1 [4.3, 6.0]
Indonesia	68	3	13.7 [10.7, 17.5]
Bangladesh	62	2	20.1 [17.7, 22.5]
United Republic of Tanzania	46	2	21.7 [17.2, 27.6]
Afghanistan	46	2	40.0 [31.6, 48.9]

नवजातों की मृत्यु का कारण

- रिपोर्ट के मुताबिक नवजातों की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण प्री-मैच्योर बर्थ है जबकि दूसरा सबसे बड़ा कारण प्रसव के दौरान श्वास लेने में कठिनाई (Asphyňia), सेप्सिस तथा न्यूमोनिया सहित जन्मजात संक्रमण जैसी जटिलताएँ है।
- इन समस्याओं का समय रहते इलाज हो सकता है और इनसे होने वाली मौतों को रोका जा सकता है।